न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः–1 / 14 दायरा दिनांकः– 27.07.2014

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

नारायण पुत्र शिवलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामकिशन जाति बलाई निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
2. जगदीश पुत्र रामकिशन जाति बलाई निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
3. ठाकुरलाल पुत्र रामकिशन जाति बलाई निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
4. तहसीलदार शाहबाद जिला बारां राजस्थान
    1. सरवन पुत्र भंवरलाल जाति बलाई निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
    2. रामकली बेवा भंवरलाल जाति बलाई निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां

– रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

अभिभाषक अपीलान्ट – श्री अरविन्द्र शर्मा।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट – श्री प्रकाश चन्द्र नामदेव।

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 30.08.2013 प्रकरण संख्या 13 / 2012 बउनवान भंवरलाल बनाम नारायण न्यायालय तहसीलदार शाहबार जिला बारां अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट।

निर्णय दिनांकः 31-7-2019

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 30.08.2013 प्रकरण संख्या 13 / 2012 उनवान भंवरलाल बनाम नारायण अन्तर्गत धारा 183 (बी) की अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सरिता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फिस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए। अपीलान्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2013 विधि के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के स्पष्टतया विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जबाब में स्पष्ट तौर पर अपीलान्ट ने अंकित किया था कि ख.नं. 491 / 8 की 5.10 बीघा भूमि अपीलान्ट,ख.नं. 491 की 5.00 बीघा अपीलान्ट के पुत्र चिरोजी, ख.नं. 491 की 5.00 बीघा अपीलान्ट के पुत्र विजय की खातेदारी की है। जिन्हें विधिवत दखल दिया व दखल के अनुसार काबिज काश्त है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नक्शा तरमीम नहीं है। अपीलान्ट अपने खाते की भूमि पर काबिज है जिसे हांक जोत कर उपजाउ कर रखा है। ख.नं. 491 में रेस्पोडेण्ट का कभी कब्जा नहीं रहा रेस्पोडेण्ट्स ने कभी दखल प्राप्त नहीं किया तथा नक्शा तरमीम नहीं होने से अपीलान्ट की खाते की आराजी होने के बाबजूद, अपीलान्ट के विरूद्ध मिथ्या शिकायत पेश कर हल्का पटवारी से फर्जी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को गुमराह कर निर्णय प्राप्त कर लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने हाजिर होकर जबाब पेश किया उसके बाद सुनवाई की कोई पेशी प्रदान नहीं की तथा हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था दिनांक 11.07.2014 को हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा तथा रिकार्ड व नक्शे के विपरीत अपीलान्ट के खाते की भूमि अपीलाधीन निर्णय का हवाला देकर नापने का प्रयास किया तब अपीलान्ट को उक्त निर्णय का ज्ञान हुआ तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

अपीलान्ट विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि 183(बी) के प्रावधान एस.सी./एस.टी. की भूमि के लिए है। रेस्पोडेण्ट एस.सी./एस.टी. का नहीं है बलाई जाति सामान्य जाति का व्यक्ति है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही शून्य व विधि विरूद्ध है। तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया कि मैने खसरा नम्बर 491 रेस्पोडेण्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं खसरा नम्बर 491 का खातेदार हूँ। खसरा नम्बर 491/8 की 5.10 बीघा मेरे नाम खसरा नम्बर 491 की 5 बीघा मेरे पुत्र चिरोंजी के खाते तथा खसरा नम्बर 491 की 5 बीघा दूसरे पुत्र विजय के नाम दर्ज है। इस प्रकार मैं 15.10 बीघा के खातेदार है। नक्शे में खसरा नम्बर 491 की कही पर भी तरमीम नहीं है। मैं खातेदार हूँ तरमीम नहीं है फिर किस आधार पर मुझे अतिक्रमी माना गया। मेरे द्वारा तहसीलदार कोर्ट में जबाब दिया लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अतः निर्णय विधि विरूद्ध है। पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर बताये है। उनके द्वारा शपथ पत्र दिये है कि उनके सामने कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये। दखलनामा पत्रावली में है। उसी अनुसार कब्जा है। जबकि इसकी नक्शे में तरमीम नहीं होने से मेरी भूमि पर बैठा रहे हैं।

अतः अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरकरण का निर्णय बिना विधिक प्रावधान के पारित करने से निरस्तनीय है।

रेस्पोडेण्ट विद्वान अभिभाषक ने बताया कि जिस शपथ पत्र की बात कर रहे हैं। वह पत्रावली पर नहीं है जो शपथ पत्र बताये है वे गलत है। जो आराजी 4/23 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 491/8 रकबा 8.06 बिस्वा मेरी खातेदारी में है। मैं बलाई जाति का एस.सी. का व्यक्ति हूँ गरीब हूँ। यह भूमि बरसों से मेरे कब्जे मे थी जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे 183(बी) की कार्यवाही पर निर्णयानुसार 11.07.2014 को बेदखल कर दिया गया मुझे कब्जा सम्भला दिया। इनके द्वारा 30.08.2013 के निर्णय की अपील 11.08.2014 को की गई। खसरा नम्बर बडा हसे सकता है। मेरी भूमि को छोड के कहते रहे लेकिन छोडी लेकिन छोडी नहीं मेरे पास इस भूमि के अलावा अन्य भूमि नहीं है। अभी कब्जा लेने हेतु आतुर है। यदि इनकी जमीन बताते हैं तो ये पैमाईश कराकर अपनी भूमि काश्त करे। अतः अपील विधि विरूद्ध होने अपील मियाद बाहर होने व कृत्यो से परे होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/यथावत रखा जावें।

रेस्पोडेण्ट खातेदार है, अपीलान्ट का कथन है कि नक्शे में तरमीम नहीं है जबकि पटवारी द्वारा नक्शे में तरमीम होना अंकित किया है, तरमीम नहीं होने का कारण बताकर कोई भी व्यक्ति स्वयं की भूमि के साथ–साथ दूसरे की भूमि पर काश्त करता है तो अतिक्रमी माना जावेगा। अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उससे किसी प्रकार की विधिक त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 14:07:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: